रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2004 (माघ 4, 1925)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2004 (MAGHA 4, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया
नई दिल्ली, दिनांक 07 जनवरी, 2004
चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स

सं. 29-सी.ए./ला/डी.-48/2004--चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थान की परिषद् द्वारा, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स मामला संख्या 1/1991 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में दिनांक 14 फरवरी, 2003 को यह आदेश किया है कि श्री पी.सी. पारिख, एफ.सी.ए., पूर्वालय बिल्डिंग,14/15, राम कृष्ण नगर, राजकोट-360002 (सदस्यता संख्या 2919) को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित धारा 21 के अधीन "अन्य अवचार" का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से पाँच वर्ष की अवधि के लिए हटा दिया जाए। तदनुसार, एतदद्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री पी.सी. पारिख का नाम दिनांक 1 फरवरी, 2004 से चौंच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान वह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबन्धनानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

डा. अशोक हल्दिया, सचिव

दिनांक 10 जनवरी, 2004

सं. 29-सी.ए./ला/डी.-127/2004--चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थान की परिषद् द्वारा, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संदर्भ संख्या 1/2003 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 नवंबर, 2003 को यह आदेश किया है कि श्री मुकेश आर. शाह, एफ.सी.ए., मैसर्स मुकेश आर. शाह एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स, 307, महाकान्त, वी.एस. हास्पिटल के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद--380006 (सदस्यता संख्या 31399) को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 धारा 22 के साथ पठित धारा 21 के अधीन "अन्य अवचार" का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम इन्स्टीच्यूट की सदस्यता से स्थायी रूप से हटा/काट दिया जाए। तदनुसार, एतद्द्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री मुकेश आर. शाह का नाम दिनांक 1 फरवरी, 2004 से इंस्टीट्यूट की सदस्यता से स्थायी रूप से हटा/काट दिया जाएगा। उपरोक्त तारीख से वह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबन्धनानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के रूप में व्यवसाय करने के अधिकारी नहीं होंगे।

डा. अशोक हल्दिया, सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 07th January 2004

CHARTERED ACCOUNTANTS

No. 29-CA/Law/D-48/2003—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Gujarat has, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountants case No. 1/1991, ordered on 14th February, 2003 that the name of Shri P.C. Parekh, FCA, "Purvalaya" Building, 14/15, Ramkrishna Nagar, Rajkot 360 002 (M.No. 2919) be removed from the Register of Members for a period of five years for having been found guilty of "other misconduct" under Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri P.C. Parekh shall stand removed from the Register of Members for a period of five years w.e.f. 1st February, 2004. During the period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble HIgh Court of Gujarat.

Dr. Ashok Haldia, Secy.

New Delhi, the 10th January 2004

No. 29-CA/LAW/D-127/2004—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Gujarat has, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountants Reference No. 1/2003, ordered on 11th November, 2003 that the name of Shri Mukesh R. Shah, FCA, M/s. Mukesh R. Shah & Co., Chartered Accountants, 307, Mahakant, Opp. V.S. Hospital, Ashram Road, Ahmedabad 380 006, (M.No. 31399) be removed from the membership of the Institute permanently for having been found guilty of "other misconduct" under Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accoutants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Mukesh R. Shah shall stands removed from the membership of the Institute permanently w.e.f. 1st February 2004. From the aforesaid date he shall not be entitled to practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Gujarat.

Dr. Ashok Haldia, Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004